ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 06/2020
बेबी सिन्हा–बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरः–	अभियुक्ति
	आवेदिका बेबी सिन्हा, पति राजेश सिन्हा, ग्राम मरहेडी, थाना चौपारण जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–मरहेडी, थाना–चौपारण, थाना नं0–60, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 04, प्लॉट नं0 216 रकवा 05 डी0 विक्रय पत्र सं0 1698 दिनांक 02.07.2018 द्वारा विक्रेता सरस्वती देवी से भूमि क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारीज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारीज वाद सं0–153 R27/2018-19 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारीज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारीज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदिका द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, चौपारण के अस्वीकृति की सूचना में अस्वीकृति का कारण वर्णित है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। आवश्यक ऑनलाईन प्रविष्टि कराकर पुनः आवेदन करें आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा मात्र खेसरा का ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं होने का आधार बनाकर दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है, जबकि खेसरा के ऑनलाईन प्रविष्टि करने का कार्य स्वयं अंचल अधिकारी का ही है तथा एक बार अस्वीकृति के पश्चात अचंल अधिकारी को पुनः दाखिल खारिज स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है। अतएव आवेदिका बेबी सिन्हा के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार खेसरा का ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवेदिका बेबी सिन्हा के नाम से पंजी–II में जमाबंदी कायम करते हुए शुद्धि पत्र एवं सरकारी लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय। लेखापित एवं संशोधित Km 13/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही, (हजारीबाग) Km 13/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही, (हजारीबाग) *ज्ञापांक 235/ 450 बरही, दिनांक 16/12/2020* प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, चौपारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। Km 13/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही, (हजारीबाग)	

D:\LRDC new\Mutation Appel.docx

Scanned with CamScanner